



महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर
MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY, GORAKHPUR

पत्रांक- महा0गु0गो0आ0वि0गो0 / 2025-26 / 102

दिनांक:- 5/12/25

शासनादेश संख्या -1689/96- आयुष-1-2025-ई0- पत्रा0-1665466 के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय के संविदा पर निम्नलिखित पदों पर पदनाम, विभाग (Department/ Discipline), वेतन, आयु सीमा (Age Limit), आदि नियुक्ति शर्त एवं प्रतिबन्ध

क्रम संख्या	पदनाम	विभाग Department/ Discipline	पदों की संख्या	आरक्षण श्रेणी
01	प्राध्यापक (लेक्चरर) नियत मानदेय (मासिक) 1,20,000.00 आयु सीमा (Age Limit) 45 वर्ष	अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक	01	अनुसूचित जाति (SC)
		काय चिकित्सा	01	अनारक्षित (UR)
		क्रिया शरीर	01	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
		द्रव्यगुण	01	अनारक्षित (UR)
		प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	01	अनुसूचित जाति (SC)
		रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	01	अनारक्षित (UR)
		रचना शरीर	01	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
		रस शास्त्र	01	अनारक्षित (UR)
		संहिता एवं सिद्धांत	01	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
02	उपाचार्य (रीडर) नियत मानदेय (मासिक) 1,60,000.00 आयु सीमा (Age Limit) 50 वर्ष	अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक	01	अनुसूचित जाति (SC)
		काय चिकित्सा	01	अनारक्षित (UR)
		क्रिया शरीर	01	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
		कौमार भृत्य(बाल रोग)	01	अनारक्षित (UR)
		द्रव्यगुण	01	अनुसूचित जाति (SC)
		पंचकर्म	01	अनारक्षित (UR)
		प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	01	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
		रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	01	अनारक्षित (UR)
		रचना शरीर	01	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
		रस शास्त्र	01	अधिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
		शल्य	01	अनुसूचित जाति (SC)
		शालाक्य	01	अनारक्षित (UR)
		स्वस्थवृत्त एवं योग	01	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
		संहिता एवं सिद्धांत	01	अनारक्षित (UR)
03	आचार्य (प्रोफेसर) नियत मानदेय (मासिक) 2,20,000.00 आयु सीमा (Age Limit) 65 वर्ष	अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक	01	अनुसूचित जाति (SC)
		काय चिकित्सा	01	अनारक्षित (UR)
		क्रिया शरीर	01	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
		कौमार भृत्य(बाल रोग)	01	अनारक्षित (UR)
		द्रव्यगुण	01	अनुसूचित जाति (SC)
		पंचकर्म	01	अनारक्षित (UR)
		प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	01	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
		रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	01	अनारक्षित (UR)
		रचना शरीर	01	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
		शल्य	01	अधिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
		शालाक्य	01	अनुसूचित जाति (SC)
		स्वस्थवृत्त एवं योग	01	अनारक्षित (UR)
		संहिता एवं सिद्धांत	01	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)

1. अंतिम तिथि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन फार्म विश्वविद्यालय के वेबसाइट mggaugkp.ac.in से ऑनलाइन में भरे जायेंगे।
2. आवेदनकर्ता सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर(एम0डी0(आयु0)/एम0एस0(आयु0)) उपाधि धारक के साथ Teacher Code होना भी अनिवार्य है।
3. आवेदन फार्म के स्कूटनी के उपरान्त ई-मेल के माध्यम से वॉक इन इंटरव्यू के लिये सूचित किया जायेगा तथा वॉक इन इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को अपने समस्त अभिलेखों को मूल रूप में लेकर उपस्थित होना होगा।
4. ऐसे प्राध्यापक (लेक्चरर), उपाचार्य (रीडर), आचार्य (प्रोफेसर) की सेवाएं उक्त निर्धारित समय के अन्तर्गत ही सामान्यतः 06 माह होगी किन्तु सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर तीन दिवस का नोटिस देकर कभी भी समाप्त की जा सकेगी। छः माह की संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवा-काल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
5. संविदा पर नियुक्त प्राध्यापक (लेक्चरर), उपाचार्य (रीडर), आचार्य (प्रोफेसर) से चिकित्सालय एवं विश्वविद्यालय का कार्य लिया जायेगा।
6. चयनित अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति महोदय के साथ रु0 100 के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर करार निष्पादित करेगा। करार के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।
7. अभ्यर्थी द्वारा पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा पर कार्यरत माना जायेगा।
8. चयनित प्राध्यापक (लेक्चरर), उपाचार्य (रीडर), आचार्य (प्रोफेसर) के लिए आवश्यक होगा कि वह करार होने के 30 दिन के भीतर विश्वविद्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। कार्यभार ग्रहण की सूचना मा0 कुलपति जी/अध्यक्ष मा0 कार्य परिषद को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।
9. संविदा पर नियुक्त प्राध्यापक (लेक्चरर), उपाचार्य (रीडर), आचार्य (प्रोफेसर) की संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन तथा निःशुल्क आवास सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा, न ही कोई बोनस देय होगा।
10. नियुक्त प्राध्यापक (लेक्चरर), उपाचार्य (रीडर), आचार्य (प्रोफेसर) को एन0सी0आई0एस0एम0 नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन पर करना होगा।
11. सभी पदों के लिए अनुभव NCISM के मानकों के अनुरूप होगा।
12. समस्त आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार के आरक्षण सम्बन्धित नीति एवं शासनादेशों के अधीन ही स्वीकार किये जाएंगे।
13. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।
14. केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे, किसी प्रकार के प्रिन्ट आउट विश्वविद्यालय में स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
15. ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा ऑनलाइन प्रकाशन से 21 दिन तक रहेगी आवेदकों के समस्त अनुभव एवं अर्हता की गणना की अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक ही स्वीकार होगी।



महायोगी गुरु गोरखनाथ

आयुष विश्वविद्यालय
Mahayogi Guru Gorakhnath
Ayush University
Gorakhpur